न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,डीडवाना जिला नागौरा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 27/2020 दायर दिनाँक 11.09.2020

प्रार्थी	अप्रार्थी
रिछपाल पुत्र स्व. सुरजाराम	लिछमादेवी पत्नि गिरधारी राम

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः—

1. श्री प्रितमसिंह वकील वादी।
2. श्री विक्रम कुडी, हरफुलराव वकील प्रतिवादी ।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 19.10.2020

उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र छोटुराम जाति जाट निवासी भाडासर तहसील डीडवाना द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है

यह है कि प्रार्थी के न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया है, प्रार्थी का खेत खसरा 180 में आने–जाने हेतु खसरा नं. 181, 182 व 183 में से रास्ता मांगा है जिसमें किसी प्रकार का कटाणी रास्ता दर्ज नहीं है, न ही आस–पास कोई कटाणी रास्ता लगता है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 202 गैरमुमकिन गोचर में से रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आता है। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार कर प्रार्थी का प्रर्थना–पत्र खारीज किया जावें।

वकुलाय की बहस सुनी गई वकिल अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का पुनः दोहरान करते हुए प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 180 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 205 जो कि प्रार्थी के खेत के दक्षिण में स्थित है से रास्ते की मांग नही की जाकर खसरा नम्बर 181 व 183 खातेदारी भूमि एवं खसरा नम्बर 202 गैरमुमकिन गोचर मे से रास्ते की मांग की जो की ओचित्यपूर्ण नही है। खसरा नम्बर 202 गैरमुमकिन गोचर जो की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसका किस्म परिवर्तन किया जाना न्यायालय के क्षैत्राधिकार के अर्न्तगत नही आता है। उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी के अनुसार अप्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थना–पत्र 251 ए खारीज किया जाता है।

(अंशुल सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 19.10.2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.26 13:34:41 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner